


## व्यायालय में श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)



श्रीमती मुक्तामणि सिंह पति श्री वीरेन्द्र सिंह निवासी—बाबूलाल कालोनी पो०

ऑफिस की पीछे राजनगर तहसील—कोतमा, जिला—अनूपपुर (म0प्र0)

.....आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती हेमागर्ग पति वेद प्रकाश गर्ग निवासी—अनूपपुर वार्ड नं० ९ थाना व तह० —अनूपपुर, जिला—अनूपपुर (म0प्र0)
2. म0प्र0 राज्य .....उत्तरवादी / गैरनिगरानीकर्ता

*दिनांक 28-12-15 को*  
क्षमा उम्मीद नहीं, अनूपपुर  
कामा भर्तुल  
*दिनांक 28-12-15*  
50  
मान्यवर,

प्रथम राजस्व निगरानी अंतर्गत धारा 50 एम.पी.  
एल.आर.सी. विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी  
अनूपपुर के राहीं प्र० ५७ / अप्र० १४-१५ में  
पारित आदेश दिनांक ०३.११.२०१५ के विरुद्ध

निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि :-

1. यहकि, भूमि स्थित ग्राम परसवार प0ह0 परसवार तहसील व जिला—अनूपपुर म0प्र0 स्थित आराजी खसरा नम्बर ८१७ रकवा १.६१७ हे० भूमि के अंश रकवा ०.१०१ हे० भूमि को निगरानीकर्ता से भूमि स्वामी उत्तरवादी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक ०४.०१.२०१४ को क्रय किया था, तथा इसी विक्रय पत्र के आधार पर निगरानीकर्ता ने नामांतरण का आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया था तथा यह निष्कर्ष दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि वर्ष १९५८-५९ के खतौनी में गैर हकदार दर्ज थी तथा गैर हकदार दर्ज भूमि को सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना अंतरण नहीं किया जा सकता है परिणामतः निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत आवेदन नामांतरण का तहसीलदार अनूपपुर के द्वारा जरिये राजस्व प्रकरण क्रमांक ५०२ / अ-६ / २०१३-१४ में पारित आदेश दिनांक ०९.०६.२०१४ के माध्यम से निरस्त कर दिया गया जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता के द्वारा संहिता के प्रावधानों के तहत प्रथम राजस्व अप्र० १४-१५ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

मुक्तामणि

—२—

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग - अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4103-तीन / 2015

श्रीमती मुक्तामणि सिंह

विरुद्ध

जिला अनूपपुर

श्रीमती हेमागर्ग आदि

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही अथवा आदेश

पक्षकर्ता एवं  
अभिभाषकों आदि के  
हस्ताक्षर

30-1-2016

आवेदक की ओर से दिनांक 25-1-16  
को श्री एस०के० अवस्थी अभिभाषक द्वारा  
वकालतनामा दिया गया और बहस के लिए समय  
दिया जाकर दिनांक 29-1-16 पेशी निर्धारित  
की गई। आज दिनांक 29-1-16 को श्री प्रदीप  
श्रीवास्तव अभिभाषक मेमो पर उपस्थित हुये। श्री  
श्रीवास्तव अभिभाषक का कहना है कि इस  
प्रकरण के मूल अभिभाषक श्री अवस्थी न्यायालय  
में उपस्थित हैं तो उन्हें बहस करना चाहिए। श्री  
अवस्थी ने कहा कि श्री श्रीवास्तव आज मेमो पर  
उपस्थित हैं इसलिए वे बहस करेंगे। श्री  
श्रीवास्तव द्वारा बहस हेतु पुनः समय चाहा  
गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकरण में  
दोनों में से कोई भी अभिभाषक बहस नहीं  
करना चाहते इसलिए याचिका का अवलोकन कर  
प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है।

2/ याचिका के अवलोकन से स्पष्ट है  
कि यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर  
के प्रकरण क्रमांक 57/अप्रैल/14-15 में पारित  
आदेश दिनांक 03-11-15 के विरुद्ध प्रस्तुत की  
गई है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की  
सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि  
अनुविभागीय अधिकारी ने अप्रैल में

ब्यार

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4103-तीन / 2015  
 श्रीमती मुक्तामणि सिंह

विरुद्ध

जिला अनूपपुर  
 श्रीमती हेमागर्ग आदि



तहसीलदार द्वारा किये गये आदेश दिनांक 9-6-14 को किये गये नामांतरण आवेदन खारिज करने के आदेश को विधिअनुकूल माना है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि पक्षकार सूचित हो प्रकरण नस्ती होकर दाखिल दफतर हो। इससे स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम प्रकार के आदेश के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अंतिम आदेश है, अतः निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं होने से निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ० मधु खरे)  
 सदस्य